सांस फुला रखा है। उत्पादन हुआ।

मुख्य सूचना आयुक्त ने आरटीआइ पोर्टल किया 2.0 लॉन्च

सूचना आयोग में ऑनलाइन अपील, नोटिस भी ई-मेल से

जारी रहेगी अपील की वर्तमान व्यवस्था

गुप्ता ने बताया कि अब तक 275 विभाग ऑनलाइन पॉर्टल से जुड चुके हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल ऑनलाइन के साथ-साथ अपील की पुरानी प्रक्रिया भी चालू रहेगी।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर. राज्य में सूचना के लिए आवेदन के बाद अब द्वितीय अपील ऑनलाइन दायर की जा सकेगी। राज्य सूचना आयोग नोटिस भी ई-मेल से भेजेगा, जिससे कामकाज की रफ्तार बढ़ने के साथ ही लोक सूचना अधिकारियों की नोटिस नहीं मिलने की शिकायतों में भी कमी आएगी।

सूचना आयोग कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सोमवार को मुख्य सूचना आयुक्त डी बी गुप्ता ने आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च किया। पोर्टल से दूरदराज के इलाकों में रहने वालों को आरटीआइ अपील दायर करने में सहुलियत होगी। गुप्ता ने बताया कि नागरिक अब ऑनलाइन पोर्टल या ई मित्र के जरिए सूचना के लिए आवेदन पेश करने के साथ-साथ ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करा सकेंगे। सूचना आयोग द्वितीय अपील के नोटिस आदि भी ईमेल-एसएमएस से भेजेगा। इसके अलावा ऑनलाइन दायर की गई द्वितीय अपील के स्वीकार या खारिज होने की सूचना, उसकी पहली सुनवाई का नोटिस तथा केस संख्या भी ऑनलाइन प्राप्त हो सकेंगे। कई बार पता अधूरा होने के कारण द्वितीय अपील का नोटिस पक्षकारों तक नहीं पहुंच पाता था। इससे आयोग में केवल एक ही पक्ष उपस्थित हो पाता था। नोटिस ई-मेल के जरिए जाने से यह समस्या दूर हो सकेगी।